न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2020/00148 225 आरटीएक्ट

दलीप पुत्र श्योकरण, जाति जाट, निवासी धोलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ, राजस्थान।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. परमेश्वरी देवी पुत्री श्योकरण पत्नी राजाराम, आयु 75 वर्ष जाति जाट, निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ, राजस्थान।
2. रामप्रताप पुत्र श्री श्योकरण जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक संगरिया जिला हनुमानगढ। – रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश 07.07.2017 प्र सं0 60/2015
अनवान परमेश्वरी बनाम संजना वगैरह
द्वारा सहायक कलक्टर संगरिया

उपस्थितः–
श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विक्रम बिश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2
श्री रविन्द्र भोबिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांकः– 07.3.22

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष रेस्पोडेण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि चक 12 एमजेडी के खाता सं0 85/75 की 4.428 है0 भूमि रेस्पो0 की माता सजना देवी के नाम दर्ज है। यह [illegible] एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त प्रविार की कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थिया [illegible] ब.हि.ब. का हक व हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

से जन्म से बनता है। प्रार्थी ने अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को अच्छी मन्दी के अनुसार विभाजन करवाने का की अधिकारी है। प्रार्थीया ने प्रश्गनत भूमि में अपना 1/2 हिस्सा से उसे बेदखल न करने, रहन बेय नही करने एवं खुर्दबुर्द नहीं करने से पाबंद करने के लिए अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.06.2015 को एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया एवं उसके बाद अपीलाधीन आदेश 07.07.2017 के द्वारा दिनांक 01.06.2015 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी उसे ताफैसला वाद कन्फर्म किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई एकपक्षीय निर्णय है। पत्रावली प्रार्थना-पत्र में प्रक्रम वास्ते बहस नियोजित थी बिना उभयपक्ष की बहस सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट ने मनघड़ंत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना-पत्र पेश किया है। अपीलांट के पिता के फौत होने के बाद माता सजना देवी के नाम से जरिये विरास्तन हक हकूक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी। सजनादवी ने दिनांक 10.04.2015 को प्रश्नगत भूमि को जरिये हक त्याग अपीलांट एवं रेस्पोडेण्ट सं0 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर हक त्याग किया था किन्तू इन तथ्यों को अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अहम भूल की है। पत्रावली में बहस सुनी नहीं गई थी और अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया अपीलाधीन आदेश का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था। ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

4. रेस्पोडेण्ट 1 के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा भिजवाये गये उसकी तरफ से कोई उपस्थित नही आया

5. रेस्पोडेण्ट सं0 2 ने अपनी बहस मे अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार करने का कथन किया।

6. रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं ... का अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

8. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 07.07.2017 के द्वारा दिनांक 01.06.2015 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला कन्फर्म किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 उपस्थित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 व 151 सीपीसी के प्रक्रम पर थी। अप्रार्थी संख्या 1 सजना देवी के वारिसान को जो कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 हैं, को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया था। उसी दिन उनको तलबी करवाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अप्रार्थी सजना देवी के वारिसान को जरिये नोटिस तलब कर सुना जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाने योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2017 निरस्त किया प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.3.22 ....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

17/3/22

(करतार सिह पूनियॉआरएएस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:05 IST
Reason: SelfAttested